संख्या— 1263 / 38—7—2008— एनआरईजीए / 2008

प्रेषक,

डा0 जे0 एन0 चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2— मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग—7

लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2008

विषयः— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड के संबंध में शिकायतों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेशं संख्या—54 / 38—7—2008 दिनांकः 08—01—2008 एवं शासनादेश संख्या—793 / 38—7—2008 दिनांकः 27—03—2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड के वितरण में अनियमितताएं की जा रही हैं तथा जॉब कार्ड की मांग करने वाले व्यक्तियों के जॉब कार्ड समय से नहीं बनाये जा रहे हैं।

3— इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के प्रस्तर—4.3.11 में यह व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति को जॉब कार्ड न जारी होने के संबंध में शिकायत है तो वह मामले को कार्यक्रम अधिकारी की जानकारी में ला सकता है। अगर उसे कार्यक्रम अधिकारी से ही शिकायत है तो वह जिला कार्यक्रम समन्वयक या विकास खण्ड अथवा जिला स्तर पर उत्तरदायी शिकायत निपटारा अधिकारी के पास उसकी शिकायत भेज सकता है। ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा 15 दिन के अंदर कर दिया जायेगा।

4— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी व्यक्ति द्वारा जॉब कार्ड न जारी करने के संबंध में कार्यक्रम अधिकारी(खण्ड विकास अधिकारी) अथवा जिला कार्यक्रम समन्वयक(मुख्य विकास अधिकारी) के समक्ष शिकायत की जाती है तो कार्यक्रम अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उक्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जॉब कार्ड की मांग करने वाले व्यक्ति को जॉब कार्ड 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में प्राप्त हो जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि खण्ड विकास अधिकारी सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत द्वारा पात्र व्यक्ति को जॉब कार्ड दिये जाने में कोई शिथिलता न बरती जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाय।

भवदीय,

(डा0 जे0 एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1263. (1)/38–7–2008 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(3) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।